राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2013–14/अलेसे–।।/1453 दिनांकः–11.10.2017

आदेश संख्या 185/2017–18

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2013–14) की सिफारिशों के आधार पर श्री गोविन्दराम, अजा कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट सं. 538/92, लिंक नं. 8598) जन्म तिथि 01 मई, 1971 (पात्रता सूची क्रमांक 1369) जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर में अपराध संख्या 69/2000 (संशोधित) के तहत निर्णय लम्बित होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री गोविन्दराम, अजा कनिष्ठ लेखाकार को उनके विरूद्ध लंबित अपराध संख्या 69/2000 (संशोधित) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर ने निर्णय दिनांक 24.08.2016 द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त कर दिये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पद की वेतन श्रृंखला 9300–34800 (पे बैण्ड –2), ग्रेड पे–4200/– में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। श्री गोविन्दराम, अजा (मेरिट सं. 538/92) की वरिष्ठता श्री रामवतार वर्मा, आज (मेरिट सं. 537/92, पात्रता सूची क्रमांक 1368) एवं श्री महेश कुमार महायच, अजा (मेरिट सं. 540/92, पात्रता सूची क्रमांक 1370) के मध्य रहेगी।

श्री गोबिन्दराम, अजा को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर चयन के वर्ष की अन्तिम तिथि से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री गोविन्दराम, अजा कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के उपरान्त आपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2013–14/अलेसे–।।/1453 दिनांकः–11.10.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग का आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक–III, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली अलेसे–II अनुभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
8. श्री...सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–II कार्यालय................ ....।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(सांवरमल)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)

E:\sas-ii\KHANNA JI